

दृष्टिहीन/मानसिक रूप से दिव्यांग/अक्षम पूर्व सैनिक/विधवा/आश्रितों को (अधिकतम 2) को प्रतिमाह ₹1,000/- (एक हजार रुपये) मात्र अनुदान उपलब्ध कराने हेतु आवेदन - पत्र

खण्ड - "क"

भूतपूर्व सैनिक/विधवा/आश्रितों का विवरण

हाल का पासपोर्ट
फोटो चिपकाए

1. नं० रैंक नाम
- अलंकरण आवेदक/विधवा/आश्रित का नाम
2. **स्थाई पता :-**(सेवा निवृत्ति प्रमाण पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न करें)
ग्राम पोस्ट जिला
- पिन मोबाईल सं०
3. **वर्तमान पता :-**
ग्राम पोस्ट जिला
- पिन मोबाईल सं०
4. सेना में भर्ती होने की तिथि :- 5. सेवा निवृत्ति की तिथि :-
6. सेवा मुक्ति का कारण:-
7. बिमारी से ग्रस्त होने/उपचार कराने की तिथि :-
(सैनिक/असैनिक सक्षम पदाधिकारी का चिकित्सीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
8. बैंक का नाम व शाखा..... } (बैंक पासबुक के पहले पन्ने की छायाप्रति
बैंक का IFSC/NEFTकोड..... } संलग्न करें जिसमें खाता संख्या तथा
बैंक खाता संख्या } IFSC/NEFT दर्ज हों)

घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने पूर्व में किसी भी स्रोत से इस विषय पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है। मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है।

दिनांक :

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

नोट -आवेदन प्रपत्र के साथ निम्नतिलिखत दस्तावेज संलग्न करें :-

1. डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति
2. पेंशन अदायगी आदेश (P.P.O) की छायाप्रति
3. आधार कार्ड की छायाप्रति
4. जि०सै०क०का० द्वारा जारी पहचान पत्र
5. बैंक पास बुक के पहले पन्ने की छायाप्रति
6. अधिकृत सैनिक/असैनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा दस्तावेज
7. आवेदक हर साल 01 जनवरी को सशरीर उपस्थित होकर संबंधित जि०सै०क०का० में अपना अनुदान नवीकरण कराएँ।

खण्ड – "ख"

(जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के व्यवहार हेतु)

कल्याण व्यवस्थापक का जाँच प्रतिवेदन

9. आवेदक का विवरण जाँचा गया तथा सही पाया गया है। आवेदक को ₹ मात्र (रूपये मात्र) की आर्थिक सहायता भुगतान हेतु अनुशंसा की जाती है। इनका नाम कार्यालय पंजी के क्रमांक दर्ज है।

दिनांक :-

कल्याण व्यवस्थापक का नाम व हस्ताक्षर

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी की अनुशंसा

10. कल्याण व्यवस्थापक श्री..... के जाँच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य अभिलेखों के आधार पर आवेदक को ₹..... /- (रूपये मात्र) प्रतिमाह भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक :

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,

खण्ड – "ग"

सैनिक कल्याण निदेशालय

11. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन, संलग्न दस्तावेजों, अन्य साक्ष्य अभिलेखों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी के अनुशंसा के आधार पर ₹ प्रतिमाह (रूपये प्रतिमाह मात्र) आर्थिक सहायता देने की अनुशंसा/अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :

सहायक निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची

12. आवेदक के आवेदन, संलग्न दस्तावेजों तथा जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी और सहायक निदेशक के अनुशंसा उपरांत आवेदक को ₹ प्रतिमाह (रूपये प्रतिमाह मात्र) आर्थिक सहायता भुगतान को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

दिनांक :

निदेशक
सैनिक कल्याण निदेशालय
झारखण्ड, राँची